ग्रामीण पशुपालन निगम लिमिटेड

CIN : U01110RJ2017PLC05833 विज्ञापन क्रमांक : ग्रामीण/32/वि/2024

पशुपालक सेवा केन्द्र संचालन सूचना

प्रदेश में ग्रामीण पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्ता युक्त पशु उत्पादों को उचित मूल्य पर विक्रय करने हेतु प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालक सेवा केन्द्रों का संचालन प्रस्तावित है। पशुपालक सेवा केन्द्रों का संचालन स्थानीय, कर्मठ, आर्थिक रूप से सक्षम युवक/युवतियों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

पशुपालक सेवा केन्द्रों की संचालन हेतु इच्छुक युवक/युवतियों से आवेदन आमंत्रित है।

श्रेणी	न्यूनतम योग्यता	आयु सीमा	कार्यक्षेत्र	आवेदन शुल्क	मासिक लाभांश*
पशुपालन कार्यकर्त्ता	10 वीं उत्तीर्ण	21–50 वर्ष	ग्राम पंचायत स्तर	1000/– अप्रतिदेय	15000–60000/– प्रतिमाह

*बिक्री लक्ष्य पर आधारित

महत्वपूर्ण सूचना :–

पशुपालन कार्यकर्त्ता हेतु आवेदन शुल्क का भुगतान अभ्यार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् निगम द्वारा सूचना भेजने पर ऑनलाईन जमा करवाना आवश्यक होगा। आवेदन शुल्क अप्रतिदेय होगा अर्थात् वापसी देय नहीं होगा।

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया :–

पशुपालन कार्यकर्त्ता हेतु ऑनलाईन आवेदन www.graminpashupalan.com पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही रूप से भरें।

मासिक लाभांश :– पशुपालन कार्यकर्त्ता का मासिक लाभांश 15000–60000/– रूपये प्रतिमाह संभावित है। मासिक लाभांश बिक्री लक्ष्य पर आधारित होगा। मासिक लाभांश का आंकलन संभावित बिक्री लक्ष्य अनुसार है। मासिक लाभांश का आंकलन 150/– रूपये प्रति बैग (50 किग्रा.) अनुसार रखा गया है।

पशुपालन कार्यकर्त्ता का दायित्व :–

निगम में चयनित सभी पशुपालन कार्यकर्त्ताओं का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत में जहाँ पशुपालक संख्या अधिक हो, पशुपालक सेवा केन्द्र की स्थापना कर पशुपालक सेवा केन्द्र का संचालन करना है। पशुपालक सेवा केन्द्र स्थापना का समस्त खर्चा पशुपालन कार्यकर्त्ता द्वारा वहन किया जायेगा। निगम द्वारा सिर्फ पशुपालक सेवा केन्द्र का आवंटन ग्राम पंचायत अनुसार किया जायेगा।

पशुपालन कार्यकर्त्ता हेतु पात्रता :–

1. पशुपालन कार्यकर्त्ता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
2. पशुपालन कार्यकर्त्ता हेतु आयु सीमा 21–50 वर्ष निर्धारित है।
3. पशुपालन कार्यकर्त्ता हेतु चरित्र एवं स्वास्थ्य उत्तम होना आवश्यक होगा।
4. पशुपालन कार्यकर्त्ता चयन में स्थानीय युवक/युवतियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. पशुपालन कार्यकर्त्ता हेतु डेयरी संचालक एवं दुग्ध संकलन केन्द्रों पर कार्य करने वाले अभ्यार्थियों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा।

पशुपालन कार्यकर्त्ता चयन प्रक्रिया :–

पशुपालन कार्यकर्त्ता हेतु इच्छुक युवक/युवतियों से सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जावेंगे। ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच कर सही पाये गये सभी आवेदन कर्त्ताओं को आवेदन शुल्क जमा करवाने हेतु ई–मेल किया जावेगा।

आवेदन शुल्क प्राप्त सभी अभ्यार्थियों की सूची तैयार कर इच्छित ग्राम पंचायत में पशुपालक सेवा केन्द्र आवंटन की सूचना अभ्यार्थी की रजिस्टर्ड ई–मेल आई.डी. पर भेजी जावेगी।

सभी चयनित पशुपालन कार्यकर्त्ताओं को निगम द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण पश्चात् पशुपालक सेवा केन्द्र संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

पशुपालक सेवा केन्द्रों पर उत्पाद उपलब्धता :–

निगम द्वारा चयनित पशुपालन कार्यकर्त्ताओं द्वारा संचालित पशुपालक सेवा केन्द्रों पर उत्पाद की उपलब्धता अग्रिम भुगतान सिद्धान्त पर की जावेगी। उत्पाद उपलब्ध करवाने हेतु ट्रांसपोर्ट का खर्चा

निगम द्वारा वहन किया जावेगा। ट्रांसपोर्ट के अलावा अन्य किसी प्रकार का खर्चा निगम द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

सामान्य जानकारी :– ग्रामीण पशुपालन निगम लि0 भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय के अधीन कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निगमित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है। निगम की उत्पादन ईकाई गोविन्दगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है।

विशेष :– निगम में चयनित सभी पशुपालन कार्यकर्त्ताओं को कार्य सम्बन्धी घोषणा पत्र 100/– रूपये के स्टॉम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित कर निगम में जमा करवाना आवश्यक होगा। घोषणा पत्र निगम द्वारा अभ्यर्थी की रजिस्टर्ड ई–मेल आई.डी. पर भेजा जावेगा।